महिला संगठनों की ट्रांस और जेन्डर अननुरूप लोगों के लिए न्याय की मांग

सेवा में,

राज्य सभा के सदस्य

जेन्डर न्याय और यौन हिंसा का सामना कर सकी औरतों के मुद्दों पर काम करने का लंबा इतिहास रखने वाली 'महिलाओं' और 'महिला संगठनों' के रूप में, हम ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों (के अधिकारों को सुरक्षा) विधेयक, 2019 (जिसे इसके आगे विधेयक कहा जाएगा) के विभिन्न पहलुओं पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, यह ज्ञापन आपको सौंप रहे हैं। जैसा कि इससे पहले ट्रांस समुदाय के कई लोगों द्वारा ज़ोर दे कर कहा जा चुका है, यह विधेयक ऐतिहासिक नालसा फैसले की भावना के खिलाफ़ जाता है, जिसने भारत में पहली बार ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों के स्व–पहचान निर्धारण के अधिकार को मान्यता देते हुए उनकी नागरिकता, अधिकारों, सुरक्षाओं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके हकों की पुष्टि की थी। चूंकि इस फैसले ने इस समुदाय के ढांचागत जेन्डर आधारित भेदभाव और सामाजिक हाशियाकरण के खिलाफ़ सुधारात्मक और सकारात्मक कार्यवाही करने के लिए ढांचा स्थापित किया था, यह फैसला न सिर्फ ट्रांसजेन्डर समुदाय, बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का सूचक था।

लेकिन इसके बावजूद, **लोक सभा द्वारा पारित विधेयक जिसे राज्य सभा में पेश किया जाना है, वह ट्रांसजेन्डर व पुरुष–महिला की सीमित जेन्डर पहचान से परे लोगों के अधिकारों को सुरक्षा देने में विफल रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि, इसमें ऐसे भी प्रावधान हैं जो ट्रांस व्यक्तियों और समुदायों के लिए अपमानजनक हैं और उन्हें और ज़्यादा अधिकारहीन बनाते हैं, जिनमें उनके दमन की जेन्डर आधारित और पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।** इसी कारण से हमने 'महिला' संगठनों, एल.बी.टी. और ट्रांस समूहों तथा व्यक्तिगत स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की दिल्ली में 28–29 सितंबर, 2019 को एक गोष्ठि बुलाई, जिसके बाद हम आपको तात्कालिकता की भावना से यह ज्ञापन भेज रहे हैं।

1. **जेन्डर आधारित हिंसा और भेदभाव** पर, हम 'औरतें' और 'औरतों के संगठन' होने के नाते व्यक्त करते हैं कि ट्रांस व्यक्तियों के खिलाफ़ यौन हिंसा के मामलों में सिस औरतों के खिलाफ़ होने वाली यौन हिंसा के लिए दी जाने वाली सज़ा के मुकाबले, छोटी सज़ाएं **नहीं** दी जा सकतीं।

पिछले करीब चालीस वर्षों से, हम 'औरतों' के खिलाफ़ यौन हिंसा और जेन्डर आधारित हिंसा तथा भेदभाव के मुद्दे पर छाई चुप्पी तोड़ने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। 1979 में मथुरा कांड से लेकर आराधिक कानून संशोधन विधेयक, 2013 तक, इस हिंसा और औरतों के खिलाफ़ जांच और न्यायिक प्रणालियों को बढ़ावा देने वाली पितृसत्तात्मक ताकतों के खिलाफ़ संघर्ष के हमारे अनुभव हमें प्रेरित करते हैं कि हम 'औरतों' के लिए कानून में विशेष सुरक्षाओं की मांग करें। इस प्रकार की हिंसा पर हमारे काम से यह स्पष्ट है कि वही पितृसत्तात्मक और विषमलिंगी ताकतें ट्रांस तथा जेन्डर अननुरूप लोगों के खिलाफ़ जेन्डर आधारित और यौन हिंसा को बढ़ावा देती हैं, जो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उन्हें 'औरतों' द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा के बराबर समझना ज़रूरी है – चाहें वह हिरासत में यौन हिंसा हो, निजि और सार्वजनिक जगहों पर यौन हिंसा हो, सार्वजनिक स्तर पर अपमान, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो, या कुछ और। लेकिन फिर भी, विधेयक से स्पष्ट है कि उसमें इस वास्तविकता की समझ को शामिल नहीं किया गया है, जहां इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो *''किसी ट्रांसजेन्डर व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या सलामती, चाहें वह मानसिक हो या शारीरिक, या ऐसे काम करता हो जिससे शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मौखिक या भावनात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा होती हो, उसे कम–से–कम छः मास कारावास की सज़ा दी जा सकती है जिसे बढ़ाकर जुर्माने के साथ, दो वर्ष तक किया जा सकता है।''*

इसके जवाब में, हम ज़ोर देते हैं कि :

ट्रांस या जेन्डर गैर–द्विधुरी व्यक्तियों पर होने वाली यौन हिंसा को सिस औरतों पर होने वाली हिंसा से अलग/कम समझा जाना भेदभावपूर्ण और एकपक्षीय है और हमें स्वीकार **नहीं** है।

ट्रांस एवं जेन्डर गैर–द्विधुरी व्यक्तियों को हिंसा का सामना कर चुके लोगों में शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें धारा 375, 354 जैसे मौजूदा कानूनों के अंतर्गत न्याय पाने का अधिकार हो, व साथ ही अन्य कानूनों जैसे कि यौन उत्पीड़न, पीछा किए जाने के कानून आदि;

ट्रांस एवं जेन्डर गैर–द्विधुरी व्यक्तियों के खिलाफ़ ऐसे अपराधों के लिए दी जाने वाली सज़ा भी धारा 376 में दी गई 'औरतों' के खिलाफ़ होने वाले अपराधों के लिए दी जाने वाली सज़ा के बराबर होनी चाहिए;

सिस औरतों के लिए जो प्रक्रियात्मक और सबूतों की सुरक्षाएं मौजूद हैं, वे ट्रांस एवं जेन्डर गैर–द्विधुरी लोगों के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिएं, जो कि उनके अनुभवों और जीवन की वास्तविक्ताओं पर आधारित हों।

2. **जन्म के घर में हिंसा** – विधेयक की एक धारा जिसमें लिखा है, 'किसी भी बच्चे को, उसके ट्रांसजेन्डर होने के कारण, उसके माता–पिता या परिवार के सदस्य से अलग नहीं किया जा सकता, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय ने बच्चे के हित में ऐसा आदेश न दिया हो', इस बात को नकारती है कि **ज़्यादातर ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों के लिए, भेदभाव और हिंसा की शुरुआत उनके अपने परिवार से ही शुरु होती है।**

अतः, जब ट्रांस और जेन्डर गैर–द्विधुरी लोग अपने जन्म के परिवारों को छोड़ कर **हिजड़ा समुदायों या अन्य क्वीयर समूहों व नेटवर्कों से जुड़ते हैं, उसके पीछे उनके अपने जीवन को सुनिश्चित करने और अपना सहयोग नेटवर्क बनाने का कारण रहता है क्योंकि पारंपरिक परिवार के ढांचे उन्हें सुरक्षित माहौल देने में असमर्थ हैं**, जिनमें वे अपना विकास कर सकें। ऐसे हिंसक पारिवारिक माहौल में ट्रांसजेन्डर लोगों को वापस धकेलने या उस परिवार को छोड़ना मुश्किल बनाना उसी समान है जैसे कि पुराने ज़माने से 'औरतों' को उनके जन्म के घर या शादी के परिवारों में धकेला जाता रहा, चाहें वे कितने ही हिंसक क्यों न हों!

'महिला' संगठनों के रूप में, हमने हमेशा वैवाहिक और जैविक संबंधों की घरेलूता में विषमलिंगी–पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढांचों के अंतर्गत हिंसा की पहचान की है।

हम फिर से ज़ोर दे कर कहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था को खून और वैवाहिक रिश्तों के परे वैकल्पिक परिवारों को मान्यता और सुरक्षा देनी चाहिए – हिजड़ा परिवार/ समुदाय प्रणालियां, क्वीयर और ट्रांस पारिवारिक समूह जिन्होंने कई वर्षों से विषमलिंगी–पितृसत्तात्मक परिवार के परे भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक सहयोग और देखरेख की प्रणालियां स्थापित की हैं।

हम मांग करते हैं कि विधेयक की उन सभी धाराओं, जो ट्रांस, गैर'द्विधुरी, और क्वीयर व्यक्तियों के विकास, स्वतंत्रता, और आने–जाने की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं, उन्हें वापस लिया जाए।

3. अधिकारों के विधेयक ने ही अधिकारों के क्षेत्र को अनदेखा कर दिया

ट्रांसजेन्डर विधेयक 2019 विवाह और जीवनसाथी अधिकारों, संपत्ति और विरासत अधिकारों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। इसे 'अधिकारों की सुरक्षा' विधेयक का नाम दिया गया है लेकिन यह ''परिवार'' बनाने तक के अधिकार को मान्यता नहीं देता। **'महिला' संगठनों के रूप में, हमने विवाह, संपत्ति, अभिरक्षा के अधिकारों तक महिलाओं की बराबर पहुंच और जवाबदारी तथा समलैंगिक रिश्तों की मान्यता के लिए संघर्ष किया है, और हमारा मानना है कि इस विधेयक को ट्रांस समुदाय के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए** जहां वे विवाह कर सकें या नागरिक भागीदारी स्थापित कर सकें और उन्हें संपत्ति, विरासत और अभिरक्षा के अधिकार प्राप्त हों।

विधेयक ट्रांसजेन्डर समुदाय की शिक्षा, आजीविका के अवसरों के मुद्दों पर कमज़ोर और खामोश है। यह ऐसी किसी भी प्रक्रिया को शुरु करने में विफल है, जिसके माध्यम से इस समुदाय के मुख्यधारा से ऐतिहासिक बहिष्कार और भेदभाव को सही करने के लिए कोई सकारात्मक कार्यवाही की जा सके। वास्तव में, यह संभवतः

उनके चले आ रहे आजीविका के साधनों जैसे कि भीख मांगने और यौन कर्म को भी आपराधिक बना देता है – जो कि ऐसे आजीविका के साधन हैं जिन तक इस समुदाय को आज तक सीमित रखा गया था।

'महिला' आंदोलन के हमारे अनुभवों में समान अवसरों और अधिकारों के हमारे संघर्ष ने दर्शाया है कि संवेदनशील समुदायों के सशक्तिकरण या संस्थागत भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बदलने के लिए कल्याणकारी प्रयासों से कुछ हासिल नहीं होता। हमारी समझ में यह विधेयक संस्थागत भेदभाव को गैर–कानूनी बनाने में विफल है। न ही यह समावेशी और समग्र शिक्षा, सतत रोज़गार तथा आजीविका के अवसरों को संस्थागत सुधारों, जैसे कि नालसा द्वारा सुझावित आरक्षण, के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों के रूप में सुनिश्चित करने में सक्षम है।

ट्रांस व्यक्तियों की विशिष्ट चिकित्सीय ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है। अभी तक, मौजूदा चिकित्सीय और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली दोनों ने ट्रांस व्यक्तियों की विशिष्ट ज़रूरतों को अनदेखा किया है। उन्हें रोज़मर्रा जिस भेदभाव, असंवेदनशीलता और देखभाल की कमी का सामना करना पड़ता है, चिकित्सीय समुदाय को उसे तुरंत संबोधित करना होगा। **'महिला' स्वास्थ्य पर हमारे काम ने इन प्रणालियों के मर्दाना चरित्र को दर्शाया है। लंबे समय से चली आ रही हमारी मांग कि उनके स्वास्थ्य मुद्दों के संबंध में 'महिलाओं' की आवाज़ पर ध्यान दिया जाए, में हम आज जोड़ते हैं कि ट्रांस व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने और चिकित्सा की मौजूदा प्रणाली को नई दिशा देने के लिए, देखभाल प्रणाली में जानकारियों का विकास करने के लिए उनसे विमर्श किया जाए, उनकी बात सुनी जाए और उसे मान्यता दी जाए।**

एक सशक्त, स्वायत्त, अर्ध–न्यायिक प्रणाली, जैसे कि राष्ट्रीय ट्रांसजेन्डर आयोग (महिला आयोग की ही तरह) स्थापित किया जाए जिससे कि इस समुदाय के मुद्दों को संबोधित किया जा सके, और इसी प्रकार की संस्थाएं प्रत्येक राज्य में भी स्थापित की जाएं, जिनमें तृणमूल स्तर पर समुदाय के साथ काम करने वाले ट्रांसजेन्डर सदस्य बहुमत में हों, और यह आयोग केवल पंजीकृत गैर–सरकारी संस्थाओं की सदस्यता तक ही सीमित न रहें।

4. ट्रांसजेन्डर समुदाय के आत्मनिर्धारण के अधिकार के संघर्ष में उनके साथ

''ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा चिकित्सीय दस्तावेज़ों के आधार पर उनके जेन्डर निर्धारण के आधार पर, उन से जेन्डर बदलाव के प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता'' के खिलाफ़ ट्रांस तथा क्वीयर समुदायों के संघर्ष में 'महिला' संगठनों के रूप में हम उनके साथ खड़े हैं। यह न केवल किसी व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन करता है, बल्कि नालसा 2014 में स्थापित आत्म–निर्धारण के अधिकार के भी खिलाफ़ है, जहां शल्य–चिकित्सीय और हार्मोन उपचार हुआ हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को पुरुष, महिला, तीसरे जेन्डर, ट्रांसजेन्डर के रूप में अपनी पहचान करने का अधिकार है।

बरसों के हमारे संघर्षों से हमने जाना है कि स्वायत्तता और आत्म–निर्धारण किसी भी व्यक्ति की स्वयं की भावना के लिए अत्यंत महत्वूपर्ण हैं।

हमारी मांग है कि जेन्डर के आत्म–निर्धारण के मौलिक अधिकार की सुरक्षा और सम्मान किया जाए, जहां ट्रांस तथा गैर–द्विधुरी जेन्डर के व्यक्ति पुरुष, महिला, ट्रांसजेन्डर, या विभिन्न पहचानों में से किसी के भी रूप में अपनी पहचान का आत्म–निर्धारण कर सकें, और वे कानूनी रूप से अपने दस्तावेज़ों में बदलाव कर सकें, जहां उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक जांच/ पड़ताल से न गंज़रना पड़े या ज़िला न्यायाधीशों को चिकित्सीय या शल्य–चिकित्सीय उपचार के दस्तावेज़ी प्रमाणपत्र न देने पड़ें।

हम यह ज्ञापन आपको इस उम्मीद के साथ सौंप रहे हैं कि हमारे मुद्दों और आपत्तियों पर गंभीरता से गौर किया जाएगा और वर्तमान विधेयक को आप अपना कीमती वोट नहीं देंगे।

'महिलाएं' और 'महिला संगठन' होने के नाते, हम ट्रांस समुदाय की मांग में उनके साथ खड़े हैं कि **विधेयक को संसद द्वारा चुनी गई एक कमिटि को सौंपा जाए, जो इस पर और विचार करे तथा समुदाय और जेन्डर के मुद्दे पर काम का अुनभव रखने वाले लोगों के साथ विमर्श करे।**

महिला संगठनों ने अब तक जिन 'औरतों' के साथ काम किया है वे ज़्यादातर सिस औरतें रही हैं, जिसका मतलब ऐसी औरतों से है जो महिला जेन्डर के रूप में अपनी पहचान करती हैं, जो कि उन्हें जन्म के समय दिया गया था। हम मानते हैं कि आज के परिवेश में ट्रांस व्यक्ति भी महिला या पुरुष हो सकते हैं। लेकिन इस दस्तावेज़ में जिन सीखों का हमने संदभ्र दिया है, वे ज़्यादातर सिस औरतों के जीवन के संदर्भ में हैं, अतः इस दस्तावेज़ में 'औरतों' के बारे में हमारी पिछली समझ के बारे में बात करते हुए, हमने 'औरतों' को उद्धरण चिन्ह के साथ लिखा है।

Signed byWomen's groups

Name	**City**
Aalochana Centre for Documentation & Research on Women	Pune
Aawaaz-e-niswaan	MUMBAI
AIDWA	India
All India Network of Sex Workers	India
Anveshi Resrarch Centre for Womens Studies	Hyderabad
Association for Advocacy and Legal Initiatives (AALI)	Lucknow
Bebaak Collective	Mumbai
Bhumika Womens Collective	Hyderabad
CREA	New Delhi
Forum Against Oppression of Women	Mumbai
Gamana Mahila Samuha	BANGALORE
Humsafar	Lucknow
Jagori	New Delhi
Kavya	Delhi
Mahila munnade	Karnataka
NFIW	India
National Network of Sex Workers	India
Nazariya	Sangli
Nirantar trust	Delhi
Orikalankini	Bangalore/ Delhi
Partners for Law in Development	New Delhi
Pinjra Tod	New Delhi
Point of View	Mumbai
Saheli Women's Resource Centre	110024
Sahiyar(Stree Sangathan)	Vadodara

Swayam	Kolkata
Tamilaga Penngal Oringinaippu (Tamil Nadu Women's Coordination Network)	Trichy
TARSHI	New Delhi
The Feminist Collective	Sonipat
Veshya Anyay Mukti Parishad	Sangli
Vikalp Women's Group	Vadodara
Virdohi Mahila Manch	Sangli

Individuals

Name	**Profession / Organization**	**City**
Aarthi Pai	Lawyer	Bangalore
Aarushi Mahajan	Lawyer	Delhi
Abhiti		Delhi
Abir Neogy		Kolkata
Aditi	Researcher	Mumbai
Aditi Hegde	Public Health Resource Network	Delhi
Adsa Fatima		Delhi
Aiman Khan	Researcher and Activist	Bengaluru
Ajitha	WSS	Delhi
Akhileshwari	Journalist and Academic	Hyderabad
Ambika	Social activist	Hyderabad
Amita Pitre	Gender Theme Lead, Oxfam India	New Delhi
Ammu Abraham	Activist on women's rights and Civil liberties	Mumbai
Amrita Johri		New Delhi
Amrita Shodhan	Researcher/ lecturer	London
Amritananda Chakravorty	Advocate	New Delhi
Anisha Ahuja	Entrepreneur	Mumbai
Anjali Bhardwaj		New Delhi
Anjali Monteiro	Academic and Filmmaker	Mumbai
Anju khemani	Disability activist	Hyderabad
Anomita Sen		Delhi
Anurita		Guwahati
Anuvinda Varkey	Lawyer	New Delhi
Archana Kaul	Social worker	Delhi
Arshie Qureshi		New Delhi
Arundhati Dhuru		Lucknow
Ashalatha	Concultant	Hyderabad
Ashima Roy Chowdhury	Feminist Activist	New Delhi
Asma Rasheed	EFL University	Hyderabad
Ayeesha	Sex worker	Delhi
Bhamati	Filmmaker	New Delhi
Bharti Sharma	Social Work	Gurgaon
Bhawna	Student	Delhi
Birajanandan	Student	Chennai

Brinelle Dsouza		Mumbai
Chandrika b. Umaretiya	personl buisness	surat
Chayanika Shah	Queer feminist researcher, teacher, activist	Mumbai
Debarati Das	Research, Editorial and Social Media Assistant, Point of View (Mumbai	Pune
Debika Chakravarty	Community Worker	Guwahati
Deepika	Researcher	Chhattisgarh
devaki jain	economist	delhi
Dhiviya		New delhi
Dimple Oberoi vahali		Shimla
Disha Das		Ahmedabad
Divya Vaishnava		Gurgaon
Elizabeth Abraham	Mahatma Gandhi University	Kottayam, Kerala
Fareeda	Filmmaker	Bangalore
G.jhansi	Women rights activist. (POW)	Hyderabad
Gabriele Dietrich	Pofessor Rtd)	Madurai
Gargi Harithakam	Writer, political activist	Kozhikode, kerala
Gayatri Dewan		new delhi
Girija.B	Development professional	Hyderabad
Gogu Shyamala	Researcher	Hyderabad
Gopika		Bangalore
Hasina khan	Service	Mumbai
Honey Oberoi Vahali	Psychotherapist	NORTH WEST DELHI
Isha	Content Manager	Ahmedabad
Jahnavi Visvanathan	Lawyer	Delhi
K. Lalita	Researcher, Activist	Hyderabad
K.Anuradha	Social activist	Hyderabad
kabi		bombay
Kahirunnisha	Social activitist	Ahmedabad
Kalpana Kannabiran	Professor, Council for Social Development	Hyderabad
KALYANI MENON SEN	Independent researcher	GURGAON
Kamini Tankha		New Delhi
Kaneez fathima	civil rights activist	Hyderabad
Kaneez fathima	civil rights activist	Hyderabad
Karuna DW	Academic	Chennai
Khalida parveen	Amoomat society	Hyderabad
Koel Chatterji	Entrepreneur & Concerned Citizen	Kolkata
Komal saigal		New Delhi
Koyel Ghosh	Teacher	kolkata
Lara Jesani	Advocate	Mumbai
Lata Singh	Associate professor, JNU	Delhi
Laxmi Murthy	Journalist	Bangalore
Madhu Bhushan	Women's rights activist	BANGALORE
Madhurima	Entrepreneur	KOLKATA

Madhurima Majumder	Researcher	Delhi
Malobika	Queer Feminist Activist	Kolkata
Manisha Gupte	Rural Development	Pune
Margaret Gonsalves	Social Worker	Vasai
Mary E. John		Delhi
Masooma ranalvi		Delhi
Maya Gurav	Veshya Anyay Mukti Parishad	Sangli
Maya sharma		Vadodara
Meena Gopal	Researcher and activist	Mumbai
Meena Seshu	Social Science	Sangli
Minaxi Rohit		Vadodara
Mridu Kamal	Women's rights activist	New Delhi
Mrinalini	Student	GHAZIABAD
Mrinalini	Student, TISS	Kolkata
Nandini Das	Activist	NEW DELHI
Nandini Dhar	Professor	Sonipat
Nandini Rao	Activist	New Delhi
NANDITA AMBIKE		PUNE
Naseema Nazrin	Artist	Kochi
Neelima		Delhi
Neetu	Information Professional	Delhi
Neharika	Student	New Delhi
Nevish Z	Counselor	Delhi
Nighat		allahabad
Niharika Banerjea	Faculty, Ambedkar University	Delhi
Nikhat fatima	Civil rights activist	Hyderabad
Nilanju Dutta	Social Activist	Guwahati
Nisha Biswas		Kolkata
Nishi khandelwal		Delhi
Nitasha Biswas	Motivational Speaker	New Delhi /Mumbai
Padma Deosthali	Social scientist	Mumbai
Padmavathi		Secundarabad
Pamela Philipose	media	New Delhi
Paroma ray	Research scholar/ DU	Delhi
Ponni Arasu		Chennai
POUSHALI BASAK	Forum against Oppression of Women and Sappho for Equality	Bombay
Prabha		New Delhi
Pragnya Joshi	Research consultant on Gender and Development	Udaipur
Purnima G		New Delhi
Pushpa ACHANTA	Writer, Trainer	BANGALOR E
Pyoli Swatija	Lawyer	Delhi
R.indira	Social worker & activists	Hyderabad-80

Radhika Desai	Gendee, Livelihoods and Early Childhood Development Researcher and Consultant	Hyderabad
Radhika Menon		Delhi
Radhika Radhakrishnan		New Delhi
Rajashri Dasgupta		Kolkata
Rakhi Sehgal		New Delhi
Ramya Jawahar	Researcher	New York
Ranjita Biswas	Researcher Activist	Kolkata
Rashmi rekha borah	Women's rights activist	Guwahati
Reena Nath	Psychotherapist	New Delhi
Reva Yunus	Sociologist	Bangalore
Richa Minocha		Delhi
Ritambhara	Nazariya – A Queer Feminist Resource Group	Delhi
Ritu Dewan		Mumbai
Rituparna	Nazariya – A Queer Feminist Resource Group	Delhi
Rohini		New Delhi
Roop Rekha Verma	social activism	Lucknow
roopashri sinha	freelance researcher and knowledge management consultant	mumbai
Roshmi Goswami		
Rukmini	Journalist	Mumbai
Runu Chakraborty	Independent consultant	Gaziyabad
Rutvi Zamre	Student	Delhi
Saba Dewan	Film maker and writer	Gurgaon
Sadhna Arya	Teacher, DU	Delhi
Sahaya K	Independant Journalist	Hyderabad
sakina	FAOW	Mumbai
Sandhya	Frelance Consultant	New Delhi
Sanjana Gaind	Human Rights Activist	Calcutta
Sanjukta Bhuyan	Social Worker	Guwahati
Sanjukta Chakraborty	Manager	Jalgaon
Sarojini N		New Delhi
Saswati Ghosh	City College, Kolkata (Teaching and research)	Kolkata
Satnam Kaur		New Delhi
Satyavati	Social Activist	Hyderabad
Saumya	Student	Delhi
Saumya Srivastava		Lucknow
Sehba	Activist	Delhi
Shabnam Hashmi	Social activist	New Delhi
Shahira Nsim	Journalist	Lucknow
Shivangi	Student	New Delhi
Shivangi Agrawal		New Delhi
Shraddha		Hyderabad
Simrita Gopal Singh	Researcher & Social Activist	Pune
Smita	activist	new delhi
Smita V		Bombay
Sowmya Gupta	Social worker & Transgender rights activist	Delhi
Subhadra Kamath		New Delhi

Subhasmita Dandasena		Jeypore
Sucharita	Teacher	New Delhi
Sudha Patil	Muskaan	Sangli
Sujatha Surepally	Teaching	Karimnagar
Sulabha Howale		Tasgaon, Sangli.
Sumita Beethi		Kolkata
Sumitra	Curator	Bangalore
Sumitra		hyderabad
Suneeta Dhar	Development professional	New Delhi
Suneetha	Senior Fellow, Anveshi RCWS	Hyderabad
Supriya	Grassroot Activists	Mumbai
supriya madangarli	writer	kochi
sushma luthra		Haryana
Sushma Varma		BENGALURU
Susie Tharu	University faculty	Hyderabad
Svati Shah	Professor	New York
Tara R		Mumbai
Thulasi		Hyderabad
TOLIYA REKHA NARANBHAI	Job	Rajkot
Uma Bhrugubanda		Hyderabad
Uma Chakravarti	Feminist historian, Film-maker, Activist	New Delhi
Uma V Chandru		Bangalore
Umme Maria	Assistant Professor	Pune
urvashi		new delhi
Vahida Nainar		Mumbai
Vani Subramanian	Film maker	New Delhi
Vanita Nayak Mukherjee		New Delhi
Vasudha Nagaraj	Advocate	Hyderabad
Veena Shatrugna		Hyderabad
Vijaya bhandaru	Writer, activist	Hyderabad
Vineeta Bal	Scientist	Pune
Virginia Saldanha	Activist	Mumbai
yasmeen	Activist	MUMBAI
Zahra Gabuji		Mumbai
ADARSH JHA	Student	Gwalior
Adithyan		New Delhi
Amrita Sarkar		South Delhi
Arjun solanki	Job	Ahemdabad
arunesh		Bangalore
Bhagu solanki	AUTO DRIVER	AHEMDABAD
Bimal Kumar Biswas	Retired	Kolkata
Debayan Gupta		New Delhi
Gabbarsingh	Job	Ahemdabad
Grace Banu	Technlogist	Chennai

Jose	Illustrator	Mumbai
Kai	Student	New Delhi
Kanav	Student	Bangalore
Kartik Gupta	DevOps Engineer	Gurugram
Kaushik Rohit		Vadodara
Ketki Ranade	Faculty, Tata Institute of Social Sciences	MUMBAI
Krishna Pachani	Job	Vadodara
kunal puri	Developer	Gurgaon
Lovelesh Kumar Nigam		Asarwa
Navadeep (Tashi)	Human Rights Activism, Buddhist Monastic	Bodhgaya
Navdeep Mathur	Academic	Ahmedabad
Neel	Service	Kolkata
Nishchay		Mumbai
Pallu	Job	Vadodara
Parth Pawar	Illustrator	delhi
Pawan Dhall	Varta Trust	Kolkata
Prof Dr Miss A Mani	Researcher, Teacher	KOLKATA
Rajneesh Meena		Delhi
rambabumudraboyina	Transgender activist	Hyderabad
Shadab Ahmad		Okhla
Shadab Jahaan	Social work	Roorkee
Shrest Gupta		Kolkata
Shruti	business	kalyan
Soham Basu	Student and Gender Rights Activist	Kolkata
Suraj		AHMEDABAD
Suraj Sanap	Lawyer	New Delhi
Vansh	Profession	Jamnagar
Vyjayanti Vasanta Mogli	L&D consultant	Hyderabad